5/708/2019

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

आवंटन
अनुदान संख्या–83
लेखाशीर्षक–4515007890600–24

सेवा में,

1–जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी
लखनऊ, कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, झाँसी, औरैया, जालौन, बाराबंकी, मिर्जापुर, खीरी, कानपुर नगर, चित्रकूट, महोबा, इटावा, अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात, आज़मगढ़, फतेहपुर, हाथरस तथा सहारनपुर।

संख्याः 1/शा0/12/2019–1/123/2019 लखनऊः दिनांक।०जुलाई, 2019

विषयः **वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान संख्या–83 में बहुउद्देशीय पंचायत भवनो के निर्माण (जिला योजना) हेतु आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 384.69 लाख की धनराशि का आवंटन।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या– /2019/1364/33–3–2019–100(13)/2015 दिनांक 02 जुलाई, 2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान संख्या–83 में बहुउद्देशीय पंचायत भवनो के निर्माण (जिला योजना) हेतु उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0–400.00 लाख के सापेक्ष उक्त सदर्भित शासनादेश दिनांक 02.07.2019 के साथ संलग्न फॉट के कालम संख्या 8 व 16 में इंगित कुल धनराशि रू0 384.69 (रूपया तीन करोड चौरासी लाख उनहत्तर हजार मात्र) की धनराशि संलग्न सूची के अनुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1–उक्त आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोज़न के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

2–आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2019–20 की अवधि में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपयोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में 2019–20 एवं इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3–उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या 02.07.2019 के साथ संलग्न फॉट के कालम संख्या 16 में इंगित धनराशि आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई जायेगी। सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा इस धनराशि को ग्राम पंचायत निधि में जमा कराकर व्यय किया जायेगा। सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को नियमानुसार निर्धारित रूप पत्र पर उपभोग प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। **धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व पंचायत भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाये तथा मानचित्र सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराकर उसके अनुसार निर्माण कराया जायेगा।**

4–उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5–उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के अनुदान संख्या–83 लेखाशीर्षक "4515–ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–बहुउददेशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना)–24–वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायगा।

6–आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

7–शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सी–4/2018/सा0जी–1021/दस–2018–मित–1/2017 दिनांक 18–09–2018 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

RGSA
09/8/2019

8–प्रशासनिक विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना पूर्व से संचालित किसी अन्य योजना से आच्छादित/स्वीकृत न हो और न ही किसी अन्य प्रस्तावित योजना से आच्छादित/स्वीकृत हो।

9–आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–13 पर निदेशालय को प्रत्येक माह की 20 तारीख तक उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों, मानकीकरण संबंधी शासनादेश दिनांक 27.05.2016 व अन्य शासनादेशों का पूर्णतः पालन किया जाएगा।

10–प्रयोजना में भूमम्परोधी उपचार हेतु आवंटित धनरशि जोन–4 व 5 में आने वाले जनपदों के प्रायोजना प्रस्तावों हेतु ही अनुमन्य किया जाएगा।

11–आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण दो सामान किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात् अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

12– **प्रश्नगत पंचातय भवन के मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टयों के आधार पर स्वीकृत परियोजना का संबंधित जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन कराया जायेगा एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।**

13– बहुउद्देशीय पंचायत भवन के निर्माण के निर्धारित मानक के अनुसार गुणवत्ता युक्त कार्य की देखरेख एवं उनकी समीक्षा हेतु जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। जनपद का नोडल अधिकारी प्रति माह निर्माण की प्रगति से शासन/निदेशक पंचायतीराज को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जायेगा।

14–किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

15–धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में यदि कोई समर्पण हो तो उसकी सूचना निदेशालय को दिनांक 04.03.2020 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–62 पर अंकित है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)
निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

संख्याः1/शा0/12/1/2017 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001.
2– प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
4– सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7– सम्बन्धित उपनिदेशक मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
8– उप निदेशक(पं0), पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
9– एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उ0प्र0।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020
आवंटन दिनांक-10/07/2019

प्रेषण संख्या:- 1-sha-12-2019-1-123-2019
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1-123-2019
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
06 - बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	सहारनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1803000 1803000	1803000 1803000
2	इटावा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
3	कानपुर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
4	फतेहपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
5	झाँसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
6	जालौन-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
7	मिर्ज़ापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
8	आजमगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
9	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
10	उन्नाव-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
11	रायबरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
12	सीतापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
13	हरदोई-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
14	लखीमपुर खीरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
15	बाराबंकी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
16	कानपुर देहात-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
17	महोबा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
18	अम्बेदकर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
19	हाथरस-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
20	औरैया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
21	कौशाम्बी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
22	चित्रकूट-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
	योग	वर्तमान प्रगामी	38469000 38469000	38469000 38469000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ चौरासी लाख उनहत्तर हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ चौरासी लाख उनहत्तर हजार

(बृजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी